सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 260 राँची, सोमवार, 18 वैशाख, 1938 (श०)
8 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

21 मार्च, 2017

संख्या-5/आरोप-1-76/2016 का॰ 3797-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि सुश्री सरिता दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-693/03, गृह जिला-भागलपुर), के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा-सह-अवर निबंधन पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर कार्यावधि में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 के धारा-20 का उल्लंघन कर अहस्तांतरणीय भूमि का हस्तानांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-32/रा०, दिनांक 7 जून, 2016 से प्राप्त संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः सुश्री दास के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा सुश्री दास को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. सुश्री दास द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. सुश्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विधान चन्द्र चौधरी, अपर समाहर्त्ता, जामताड़ा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 260--50